अष्टादश बिहार विधान सभा

तृतीय सत्र

दैनिक विवरणिका

संख्या—04 वृहस्पतिवार, दिनांक—23 जुलाई, 2026 ई०।

माननीय अध्यक्ष डॉ० प्रेम कुमार की अध्यक्षता में सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई।

समय : 11:00 बजे पूर्वाह्न से 11:09 बजे पूर्वा० तक।

[1] प्रश्नकाल :–

i. 01 अल्प सूचित प्रश्न अपृष्ठ।
ii. 25 अल्प सूचित प्रश्न अनागत।

प्रश्नकाल प्रारम्भ होते ही सदन के कतिपय माननीय सदस्यगण अपनी मांगों को लेकर शोरगुल करने लगे।

आसन द्वारा उनसे प्रश्नकाल चलने देने एवं अपनी बातों को शून्यकाल के दौरान रखने का अनुरोध किया गया।

आसन की अनुमति से माननीय सदस्य, श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव ने कल छात्र प्रदर्शन के दौरान उनके ऊपर हुए हमले की जांच एवं दोषियों पर कार्रवाई के लिए आसन से अनुरोध किया।

तत्पश्चात् आसन द्वारा माननीय सदस्य, श्री कुमार सर्वजीत का नाम अपना पक्ष रखने हेतु पुकारा गया परन्तु सदन में गतिरोध जारी रहा एवं सदन की कार्यवाही भोजनावकाश तक के लिए स्थगित हुई।

भोजनावकाश के बाद

(02:00 बजे अपराह्न से 05:14 बजे अपराह्न तक)

[इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया]

[2] सभा मेज पर कागजात का रखा जाना :–

1. माननीय मंत्री, वित्त विभाग, श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद–151(2) के अनुसरण में भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार का मार्च, 2024 को समाप्त हुए वर्ष 2023–24 के "निष्पादन एवं अनुपालन लेखापरीक्षा" वर्ष 2017–18 से 2022–23 के "निष्पादन लेखापरीक्षा–सिविल" तथा वर्ष 2024–25 के "राज्य के वित्त" प्रतिवेदनों को माननीय राज्यपाल, बिहार की अनुमति के आलोक में सभा मेज पर रखा गया।
2. माननीय मंत्री, वित्त विभाग, श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा प्रस्ताव किया गया कि "भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार का मार्च, 2024 को समाप्त हुए वर्ष 2023–24 के "निष्पादन एवं अनुपालन लेखापरीक्षा" वर्ष 2017–18 से 2022–23 के "निष्पादन लेखापरीक्षा–सिविल" तथा वर्ष 2024–25 के "राज्य के वित्त" प्रतिवेदनों को बिहार विधान सभा के समक्ष रखे जाने के पश्चात् उक्त प्रतिवेदनों को लोक लेखा समिति द्वारा विचार किये जाने के पूर्व जनता में बिक्री के लिए प्राप्य हो।"

प्रस्ताव सदन से स्वीकृत हुआ।

3. माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, श्री श्रवण कुमार द्वारा विकसित भारत–जी राम जी अधिनियम, 2025 की धारा–35(2) के अंतर्गत अधिसूचना सं०–5736799, दिनांक–09.06.2026, अधिसूचना सं०–5818886, दिनांक–24.06.2026; अधिसूचना सं०–5827307, दिनांक–25.06.2026; अधिसूचना सं०–5827238, दिनांक–25.06.2026; अधिसूचना सं०–5773433, दिनांक–16.06.2026; अधिसूचना सं०–5846671, दिनांक 01.07.2026; अधिसूचना सं०–5818887, दिनांक–24.06.2026; अधिसूचना सं०–5841929, दिनांक–01.07.2026 तथा संकल्प सं०–5736787 दिनांक–09.06.2026; संकल्प सं०–5827214 दिनांक–25.06.2026; संकल्प सं०–5846791 दिनांक–01.07.2026 एवं संकल्प सं०–5846794 दिनांक–01.07.2026 की एक–एक प्रति को सभा मेज पर रखा गया।

4. माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, डॉ० दिलीप कुमार जायसवाल द्वारा बेतिया राज की संपत्तियों को निहित करने वाला अधिनियम, 2024 की धारा–25(2) के तहत "बेतिया राज की संपत्तियों को निहित करने वाली नियमावली, 2026" की हिन्दी एवं अंग्रेजी की एक–एक प्रति को सभा मेज पर रखा गया।

5. माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, डॉ० दिलीप कुमार जायसवाल द्वारा बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम, 2011 सपठित बिहार प्रत्यायोजित विधान उपबंध अधिनियम, 2013 की धारा–28 (3) के तहत "बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्ती (संशोधन) नियमावली, 2024" एवं "बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्ती (संशोधन) नियमावली, 2025" की हिन्दी एवं अंग्रेजी की एक–एक प्रति को सभा मेज पर रखा गया। यह सदन पटल पर 14 दिनों तक रहेगा।

6. माननीय प्रभारी मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देख–रेख वृत्ति आयोग अधिनियम, 2021 की धारा–68(3) के तहत "बिहार राज्य सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल परिषद नियमावली, 2026" एवं "बिहार राज्य सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल परिषद (संशोधन) नियमावली, 2026" की एक–एक प्रति को सभा मेज पर रखा गया।

7. माननीय प्रभारी मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा सीनियर रेजिडेन्ट/ट्यूटर तथा बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा भर्ती, नियुक्ति एवं प्रोन्नति नियमावली, 2008, सीनियर रेजिडेन्ट ट्यूटर तथा बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा भर्ती, नियुक्ति एवं प्रोन्नति (संशोधन) नियमावली, 2013, सीनियर रेजिडेन्ट ट्यूटर तथा बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा भर्ती, नियुक्ति एवं प्रोन्नति (संशोधन) नियमावली, 2026 एवं सीनियर रेजिडेन्ट ट्यूटर तथा बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा भर्ती, नियुक्ति एवं प्रोन्नति (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2026 को हिन्दी एवं अंग्रेजी की एक–एक प्रति को सभा मेज पर रखा गया।

8. माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, श्री नीतीश मिश्रा द्वारा भू–सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा–78(2) के तहत भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) बिहार का वित्तीय वर्ष 2024–25 के वार्षिक प्रतिवेदन की हिन्दी एवं अंग्रेजी की एक–एक प्रति को सभा मेज पर रखा गया।

9. माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग, श्री कुमार शैलेन्द्र द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा–395 के तहत् बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2023–24 के वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति को सभा मेज पर रखा गया।

10. माननीय प्रभारी मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग, श्री श्रवण कुमार द्वारा खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा–28(3) के तहत "बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) (संशोधन) नियमावली, 2026" की प्रति को सभा मेज पर रखा गया।

11. माननीय सभापति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति, श्री हरिनारायण सिंह द्वारा बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम–211 के तहत् समिति का बिहार राज्य भण्डारण निगम, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड से संबंधित समिति का क्रमशः 224वाँ एवं 230वाँ प्रतिवेदनों की एक–एक प्रति को सदन में उपस्थापित किया गया।

12. माननीय सभापति, राजकीय आश्वासन समिति, श्री पन्ना लाल सिंह 'पटेल' द्वारा बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम–211 के तहत समिति का गृह विभाग से संबंधित 343वाँ प्रतिवेदन, पथ निर्माण विभाग से संबंधित 347वाँ प्रतिवेदन, स्वास्थ्य विभाग से संबंधित 349वाँ, 359वाँ एवं 360वाँ प्रतिवेदन, ऊर्जा विभाग से संबंधित 354वाँ, 355वाँ एवं 361वाँ प्रतिवेदन, उद्योग

विभाग से संबंधित 357वाँ प्रतिवेदन, लघु जल संसाधन विभाग से संबंधित 358वाँ प्रतिवेदन एवं ग्रामीण कार्य विभाग से संबंधित 363वाँ प्रतिवेदन की एक–एक प्रति को सदन में उपस्थापित किया गया।

[3] <u>वित्तीय कार्य</u> :– वित्तीय वर्ष 2026–27 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण में सम्मिलित अनुदान की मांग [ग्रामीण विकास विभाग] पर वाद विवाद तथा मतदान

माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, श्री श्रवण कुमार द्वारा वित्तीय वर्ष 2026–27 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण में सम्मिलित अनुदान की मांग का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

माननीय सदस्य, श्री राहुल कुमार द्वारा अनुदान की मांग पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया एवं पक्ष रखा गया।

अनुदान की मांग तथा कटौती प्रस्ताव पर वाद–विवाद में निम्नांकित माननीय सदस्यों ने भाग लिया:–

(i) श्री कुमार सर्वजीत

इस दौरान कल की घटना पर पक्ष एवं विपक्ष के कई सदस्य अपनी–अपनी बातें रखने लगे। इस क्रम में आसन द्वारा कहा गया कि सरकार निश्चित तौर पर सी.सी.टी.वी. फुटेज की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करेगी।

(ii) श्री जिवेश कुमार

(iii) श्रीमती शालिनी मिश्रा

[इस अवसर पर माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया]

(iv) श्री मनोहर प्रसाद सिंह

(v) श्रीमती संगीता कुमारी

(vi) श्री शुभानंद मुकेश

(vii) श्री अखतरूल ईमान

(viii) डॉ० प्रकाश चन्द्र

(ix) श्री माधव आनंद

(x) श्री अरूण सिंह

(xi) श्री अजय कुमार

(xii) श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता

(xiii) श्री सुजीत कुमार

(xiv) श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी

(xv) डॉ० कुमार पुष्पंजय

(xvi) श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ सोनू सिंह

[इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया]

तदुपरांत माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, श्री श्रवण कुमार द्वारा सरकार का पक्ष रखा गया।

इस दौरान उत्तर से असंतुष्ट होकर विपक्ष के माननीय सस्यगण सदन से बहिर्गमन कर गये।

तत्पश्चात् सदन द्वारा माननीय सदस्य, श्री राहुल कुमार का कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित अनुदान की मांग का प्रस्ताव सदन से स्वीकृत हुआ।

इसके उपरान्त वित्तीय वर्ष 2026–27 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण में सम्मिलित शेष अनुदान की मांगें बारी–बारी से मुखबंध (गिलोटीन) द्वारा स्वीकृत हुई।

[4] <u>विधायी कार्य</u> – राजकीय (वित्तीय) विधेयक :–

<u>बिहार विनियोग (संख्या–3) विधेयक, 2026</u>

माननीय मंत्री, वित्त विभाग, श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा बिहार विनियोग (संख्या–3) विधेयक, 2026 को सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया गया तथा विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

विचार के प्रस्ताव की स्वीकृति के उपरान्त सभी खंड एवं अनुसूची विधेयक के अंग बने।

माननीय मंत्री द्वारा विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया। साथ ही कहा गया कि वित्तीय संकट की अफवाह निंदनीय है तथा ऐसी कोई समस्या नहीं है।

तदुपरान्त "बिहार विनियोग (संख्या–3) विधेयक, 2026" सदन द्वारा स्वीकृत हुआ।

[5] निवेदन :–

आसन से घोषणा की गयी कि आज के लिए स्वीकृत कुल 76 निवेदनों को सदन की सहमति से संबंधित विभागों को भेज दिए जायेंगे।

तदुपरांत सदन की सहमति से आसन द्वारा सदन की कार्यवाही की अवधि का विस्तार किया गया।

[6] अन्य चर्चा :–

आसन की अनुमति से माननीय सदस्य, श्री प्रमोद कुमार, श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव, श्री राकेश रंजन, श्री रोहित पाण्डेय, श्री विनय बिहारी एवं श्री रत्नेश कुमार द्वारा कल हुई हिंसात्मक घटना पर सदन का ध्यान आकृष्ट किया गया।

तदुपरांत माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग द्वारा कहा गया कि सरकार विधायकों एवं पत्रकारों पर हुए हमले और हिंसा को लेकर माननीय सदस्यों की चिंता से पूर्णतः सहमत है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन लोगों ने विधायकों और पत्रकारों को चिह्नित कर उन पर हमलें किए, हिंसा फैलाएं हैं, वे छात्र नहीं हो सकतें। वे छात्र के रूप में असामाजिक तत्व हो सकते हैं, जिनका कोई राजनीतिक या अन्य मकसद हो। जहॉं तक नीट पेपर लीक का मामला है, एन०डी०ए० सरकार इतनी संवेदनशील है कि माननीय प्रधानमंत्री ने स्वयं इसका संज्ञान लिया तथा कहा है कि इसका फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर ट्रायल कराया जाएगा। नीट पेपर लीक से जो छात्रों की भावनाएं आहत हुई है, सरकार इसपर पूरी तरह संवेदनशील है। कल ही इस सदन द्वारा पारित "बिहार अपराध नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2026" में भी पेपर लीक मामले को जघन्य अपराध की श्रेणी में शामिल किया गया है, जिससे दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जा सकेगी। सरकार कल हुई हिंसात्मक घटना को किसी हालत में बर्दाश्त नही करेगी। सी.सी.टी.वी. फुटेज की जांच कर हिंसात्मक प्रवृत्ति में लिप्त पाए जाने वालों पर सरकार निश्चित कार्रवाई करेगी।

तत्पश्चात् सभा की बैठक शुक्रवार, दिनांक–24 जुलाई, 2026 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित हुई।

पटना
दिनांक–23.07.2026

पूनम सिन्हा
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना।